गोरखपुर विकास प्राधिकरण

बोर्ड की
110वीं बैठक
का कार्यवृत्त

दिनॉक – 21.05.2018
समय – अपरान्ह् 3.00 बजे
स्थान – गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभाकक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
फोन नं0 (0551) 2230128
फैक्स (0551) 2230127

3.00	प्रस्ताव संख्या 110..03	मौजा–मानबेला, पोखरभिण्डा उर्फ करीम नगर एवं हमीदपुर के अन्तर्गत प्राधिकरण की राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित किये गये संशोधन को संशोधित किये जाने तथा अशोक विहार आवासीय योजना को निरस्त किये जाने के संबंध में। प्राधिकरण द्वारा मौजा–मानबेला, पोखरभिण्डा उर्फ करीम नगर एवं हमीदपुर में राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना का तलपट मानचित्र वर्ष–2007 व अशोक विहार आवासीय योजना का तलपट मानचित्र वर्ष–2011 में स्वीकृत किया गया था जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 57.57 एकड़ व 184.44 एकड़ है। उल्लेखनीय है कि राप्ती नगर आवासीय योजना के स्वीकृत तलपट के अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु स्थानीय किसानों के विरोध के कारण उक्त योजना में आंशिक विकास कार्य ही सम्पन्न हो पाया एवं अशोक विहार आवासीय योजना में किसानों के विरोध के कारण कोई विकास कार्य नही किया जा सका। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में कई वर्ष पूर्व में ही विकास कार्य शूरू होते ही भू–खण्डों का आवंटन संबंधित आवंटियों को तलपट मानचित्र के अनुसार लाटरी के आधार पर कर दिया गया था। आवंटन के कई वर्षो तक भू–खण्डों का कब्जा न मिलने के कारण क्षुब्द्ध आवंटियो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद योजित किया गया। कालान्तर में अवमानना याचिका भी दाखिल की गयी है। इसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन में कैम्प लगाकर जिला प्रशासन एवं पुलिस बल की सहायता से अवंटियो को कब्जा/बैनामा किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है व आवंटित भू–खण्डो का बैनामा कर इनका कब्जा स्थल पर दिया जा रहा है। मापी के दैरान कतिपयं भूखण्डों में घट–बढ़ हुयी है। शेष भू–खण्डों में से अधिकाशं भू–खण्ड गॉव के किनारे होने के कारण वर्तमान में ग्रामीण आबादी से प्रभावित हो गये है, जिनका चिन्हांकन वर्तमान में नही हो पा रहा है। गॉव के चारो तरफ की भूमि अधिग्रहित होने के कारण ग्रामीण आबादी को	<u>निर्णयः</u>–प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को यथावत् स्वीकृत किया गया।

सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत् गॉव के किनारें सड़क का प्राविधान किया जाना आवश्यक है जिससे पूर्व सृजित भू–खण्ड भी प्रभावित हो रहे है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका एवं अवमानना याचिका के आदेशो के अनुपालन में ग्रामीण आबादी के सटे प्रभावित भू–खण्डो का भी कब्जा दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुये उक्त भू–खण्डो को राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना से सटे भू–भाग पर सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा राप्ती नगर विस्तार आवसीय योजना के निकट शासन के प्राथमिकता की योजनायें यथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पत्रकारो हेतु पत्रक़ारपुरम आवसीय योजना के स्थल का चयन भी राप्ती नगर विस्तार आवसीय योजना में किया गया है। इस प्रकार उक्त दो योजनाओं के अतिरिक्त, ग्रामीण आबादी से प्रभावित भू–खण्डों को अन्यत्र नियोजित कर राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में सम्मिलित किया गया है जो अशोक विहार आवासयी योजना की भूमि का अंश है। इससे राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के साथ इन स्थलो का भी विकास समन्वय के साथ सम्भव हो सकेगा । उपरोक्त स्थितिवश राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन अपरिहार्य हो गया है। चूकि आशोक विहार आवासीय योजना में कोई विकास कार्य वर्तमान समय तक नही हुआ है। अतः वर्तमान में सुनियोजन के दृष्टिगत् पूर्व स्वीकृत अशोक विहार आवासीय योजना के स्वीकृत तलपट मानचित्र को निरस्त करते हुये राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के तलपट संशोधित मानचित्र का प्रस्ताव प्रस्तुत है (संलग्नक–स)। संशोधन का विवरण निम्न तालिका मे उल्लिखित है :–

क्रम सं0	योजना का क्षेत्रफल	भू–खण्डों/भवन के प्रकार		मानक क्षेत्रफल	संख्या
		भू–खण्ड	भवन		
राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना– भू–खण्ड (आवासीय)					
1	75.30 एकड़	H.I.G.- I	–	350.00	12

2		H.I.G.- II	–	240.00	142
3		M.I.G.	–	128.00	228
4		L.I.G.	–	72.00	209
5		E.W.S.	–	40.00	380
राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना– प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)					
6	13.21 एकड़	-	E.W.S. (G +3)	23.27	1536
राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना– पत्रकारपुरम					
7	8.98 एकड़	-	L.I.G.	52.36	480

प्रस्तावित संशोधन नियोजन के मानको के अन्तर्गत है, अतः उक्त के क्रम में अशोक विहार आवासीय योजना को निरस्त किये जाने एवं राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

6.00	प्रस्ताव संख्या 110.06(I)	मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव गोरखपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत आशुलिपिक श्री शिव कुमार श्रीवास्तव को सेवानिवृत्ति के उपरान्त गोरखपुर विकास प्राधिकरण में मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में श्री शिव कुमार श्रीवास्तव आशुलिपिक के पद पर कार्यरत हैं जो प्राधिकरण में सेवा करते हुए दिनांक 31 मई, 2018 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त गोरखपुर विकास प्राधिकरण में मात्र 02 आशुलिपिक श्री रमाशंकर यादव एवं श्री राम कुमार लाल श्रीवास्तव रह जायेंगे जो क्रमशः प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव के साथ सम्बद्ध हैं तथा मुख्य अभियन्ता के आशुलिपिक के कार्यों हेतु कोई अन्य ऐसा योग्य कर्मचारी नहीं है। श्री शिव कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्राधिकरण में आशुलिपिक के रूप में किये जा रहे कार्य संतोषजनक हैं एवं इन्हें उक्त कार्य का अच्छा अनुभव भी है। उपरोक्तानुसार कार्य की आवश्यकता को देखते हुए श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक को 01 जून, 2018 से प्राधिकरण बोर्ड की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को स्वीकृत प्रस्ताव संख्या–108.08 को आधार मानते हुए प्रति माह रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र मानदेय पर 11 माह के लिए रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित विचारार्थ प्रस्तुत है।	निर्णयः–प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को यथावत् स्वीकृत किया गया।

अन्त में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त की गई।

(राम सिंह गौतम)
सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

(अमित सिंह बंसल)
उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

(अनिल कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष,
गोरखपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।